राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक :एफ.5(1)( )निबाअ/आईसीपीएस/लेखा/..... /17–18/6216] दिनांक: 7/3/17

अध्यक्ष/सचिव/प्रभारी,
समस्त गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थान
(गैर राजकीय बाल गृह/बालिका गृह/
शिशु गृह/ओपन शैल्टर)

विषयः– गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता एवं उनके कार्यों के निर्धारण के संबंध में दिशा–निर्देश।

भारत सरकार द्वारा 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 लागू किए गए हैं।

अधिनियम के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वयं के स्तर एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बाल देखरेख संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। इन सभी बाल देखरेख संस्थानों का अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत पंजीयन किया गया हैं। उक्त बाल देखरेख संस्थानों के प्रभावी संचालन एवं बच्चों से जुडे विभिन्न विषयों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु अधिनियम एवं आदर्श नियम में आवश्यक उपबंध किए गए है।

बाल देखरेख संस्थानों के सुचारू प्रबंधन एवं बच्चों की विभिन्न तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थानों में योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों/कर्मचारियों का होना अत्यन्त आवश्यक है, जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016 की मंशा अनुरूप संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ बाल देखरेख संस्थानों का संचालन कर सकें। बाल देखरेख संस्थानों द्वारा मुख्य रूप से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के अध्याय 6 एवं अध्याय 9 में वर्णित नियमों की पालना करना आवश्यक हैं।

बाल देखरेख संस्थानों के बाल मैत्री वातावरण में संचालन, प्रभावी दस्तावेजीकरण एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अनुदानित/गैर अनुदानित बाल देखरेख संस्थानों में अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निर्धारित योग्यता, अनुभव, चयन एवं कार्य के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं–

50 गृहों की क्षमता वाले बालक/बालिका गृह में अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निर्धारित योग्यता, अनुभव एवं कार्य :–

क्र.सं.	पदनाम	पद संख्या (न्यूनतम)	पद हेतु निर्धारित योग्यता	कार्य
1.	प्रभारी/अधीक्षक (Superintendent)	1	समाज शास्त्र/सामाजिक कार्य/ मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री तथा बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव	आदर्श नियम 61 में निर्धारित कार्य
2.	बाल कल्याण अधिकारी / परिवीक्षा अधिकारी/ केस वर्कर Child Walfare officer/ Probation Officer/ Case worker	1	समाज शास्त्र/सामाजिक कार्य/ मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री एवं बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव	आदर्श नियम 62 एवं 64 में निर्धारित कार्य
3.	परामर्शदाता (Counsellor)	1	समाज शास्त्र/सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री एवं बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव	कार्य का निर्धारण पृथक से किया गया है।
4.	हाउस मदर/हाउस फादर (गृह माता/गृह पिता)	2	10 वीं उर्तीण एवं बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव	आदर्श नियम 63 में निर्धारित कार्य
5.	अर्ध–चिकित्सीय कर्मचारी/स्टाफ नर्स/ नर्सिंग अर्दली	1	नर्सिंग में स्नातक (बी.एस.एन.) डिग्री तथा 1–2 वर्ष का अनुभव	
6.	स्टोर कीपर सह लेखाकार	1	वाणिज्य में स्नातक तथा 1–2 वर्ष का अनुभव	
7.	रसोईया (Cook)	1	साक्षर	
8.	सहायक (Helper)	1	साक्षर	
9.	हाउस किपर	1	साक्षर	
10.	शिक्षक/ट्यूटर	2 (स्वेच्छिक / अंशकालिक)	बी. एड./एस.टी.सी. तथा बच्चों को पढानें का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव	
11.	चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक)	1 (पार्ट टाईम)	एम.बी.बी.एस. डिग्री धारक पेशेवर चिकित्सक	
12.	कला और शिल्प और कार्यकलाप शिक्षक	1 (अंशकालिक)	कला संकाय में स्नातक तथा कला एवं शिल्प कियाकलाप में 1 वर्ष का अनुभव	
13.	पीटी अनुशिक्षक सह योग प्रशिक्षक	1 (अंशकालिक)	शारीरिक शिक्षा में स्नातक/योग प्रशिक्षक	

25 गृहों की क्षमता वाले बालक/बालिका आश्रयगृह में अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निर्धारित यौग्यता, अनुभव एवं कार्य :–

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या (न्यूनतम)	पद हेतु निर्धारित योग्यता	कार्य
1.	प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर कम काउन्सलर (One Project Coordinter cum counsellor)	1	समाज शास्त्र/सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री एवं बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव	आदर्श नियम 61 में निर्धारित कार्य
2.	सामाजिक कार्यकर्ता (One Social Worker)	1	समाज शास्त्र/सामाजिक कार्य/ मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री एवं बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव	आदर्श नियम 62 एवं 64 में निर्धारित कार्य
3.	केयर गिवर्स कम ब्रिज कोर्स शिक्षक (Two Care Givers cum bridge educator)	2	बी. एड./एस.टी.सी. तथा बच्चों को पढानें का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव	
4.	आउट रिच वर्कस (Three Out Reach Worker)	3	समाज शास्त्र/सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान में स्नातक डिग्री एवं बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव	आदर्श नियम 63 में निर्धारित कार्य
5.	हेल्पर/कुक	1	साक्षर	

बाल देखरेख संस्थाओं में कार्यरत अथवा नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यवहार एवं आचरण अधिनियम एवं आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप संवेदनशील एवं कर्तव्यनिष्ठ होना अत्यन्त आवश्यक है तांकि संस्थाओं में रहने वाले बालक/बालिकाओं की सुरक्षा एवं समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सभी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि संस्थाओं में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के चरित्र का पुलिस सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के बाद ही की जायें।

अधिनियम एवं आदर्श नियमों की मंशा के अनुरूप निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निम्न निर्धारित कार्य किए जाएगें:–

1. परामर्शदाता –

- बच्चे की शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को समझना।
- उसकी पीडा को दूर करना और चोट के भराव तथा विकास को बढावा देना।
- बच्चे के अनुसार बताए गए घटना के कारणों को जानना एवं सुनना।
- जब बच्चा मुश्किल में हो तो उचित ढंग से प्रतिक्रिया देना।
- जो बच्चे उन्हें रैफर किए गए हैं उन्हें परामर्श और सहायता देना और समूह आधारित गतिविधियां करना।
- बच्चे के पूर्ण व्यक्तित्व और सामाजिक विकास को बढाना तथा उसके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम करना।
- बच्चे को उसके परिवार या समुदाय से पुनः जोडने में सहायता करना।
- उक्त के अतिरिक्त संस्था के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना।

2. मनोवैज्ञानिक/मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ –

- बच्चें द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया को समझना।
- बच्चे के अनुभव की चिकित्सकीय पृष्ठभूमि को सुविधाजनक, पूरी तरह निष्पक्ष और संवेदनशील ढंग से प्राप्त करना।
- पुराने विवरणों का सतर्कतापूर्वक दस्तावेजीकरण करना।
- घटना से उभरने में बच्चे की सहायता करना।
- शब्दों का प्रयोग किये बिना अपनी नजरों, भाव भंगिमा या संकेत, आवाज व आपसी अभिव्यक्तियों के माध्यम से सम्प्रेषण करना।
- बालक की उपस्थिति, हाव–भाव, चाल, आवाज से उसके बारे में अनेक बातें जानना।
- इस तरह के सम्प्रेषण के प्रयोग में शब्दों की बजाय महसूस करना।
- सभी निदानात्मक निष्कर्ष जो दुर्व्यवहार के अवशेष के रूप में दिख रहे है, उनका फोटोग्राफिक या वीडियो रिकार्ड बनाना।
- जब आवश्यकता हो न्यायालय में गवाही के लिए जाना।
- उक्त के अतिरिक्त संस्था के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना।

3. चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक) –

- बच्चे के अनुभव की चिकित्सकीय पृष्ठभूमि को सुविधाजनक, पूरी तरह निष्पक्ष और संवेदनशील ढंग से प्राप्त करना।
- पुराने विवरणों का सतर्कतापूर्वक दस्तावेजीकरण करना।
- बच्चे की पीडा, बीमारी और यौन संक्रामक रोगों के निदान के लिए विस्तृत परीक्षण करना और फोरेंसिक साक्ष्य प्राप्त करना।
- यौन दुर्व्यवहार का आभास देने वाले शारीरिक चिन्हों और व्यवहार की शिकायतों के बारे में अलग तरह के निदान पर विचार करना।
- सभी निदानात्मक निष्कर्ष जो दुर्व्यवहार के अवशेष के रूप में दिख रहे है, उनका फोटोग्राफिक या वीडियो रिकार्ड बनाना।

- अपने निदान और उपचार की सिफारिशों के साथ विस्तृत और पूर्ण चिकित्सकीय रिपोर्ट तैयार करना।
- जब आवश्यकता हो न्यायालय में गवाही के लिए आना।

4. शिक्षक/ट्यूटर –

- बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रदान करना।
- बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताना।
- बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाना।
- बच्चों में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के प्रति समझ विकसित करना।
- बच्चों को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से अवगत कराना।
- बच्चों में शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- बच्चों साफ–सफाई से रहने हेतु प्रेरित करना।
- उक्त के अतिरिक्त संस्था के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना।

5. अर्ध–चिकित्सीय कर्मचारी/स्टाफ नर्स/नर्सिंग अर्दली –

- बच्चों को समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करना।
- बीमार बच्चों को समय–समय दवाईयां उपलब्ध कराना।
- बच्चों को मौसमी बीमारियों/संक्रामक बीमारियों से बचने के उपाय के बारे में अवगत कराना।
- छोटे बच्चों को समय–समय पर टीके/पोलियों इत्यादि की दवा पिलाना।
- आवश्यकतानुसार चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक) की सहायता करना।
- बच्चों को उम्र के अनुसार आने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताना।
- किशोरी बालिकाओं को आयरन की गोलियां उपलब्ध कराना।
- उक्त के अतिरिक्त संस्था के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना।

6. स्टोर कीपर सह लेखाकार –

- बच्चों से संबंधित आने वाले फंड का लेखा–जोखा रखना।
- बच्चों हेतु भामाशाहों/अन्य दानदात्ताओं द्वारा दान की गई वस्तुओं की स्टॉक एन्ट्री करना तथा उसका लेखा–जोखा रखना।
- क्रय की गई वस्तुओं की स्टॉक एन्ट्री करना तथा उसका लेखा–जोखा रखना।
- बच्चों को आवश्यकतानुसार वस्त्र, जुते, स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
- राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान को मद के अनुसार उपभोग करना।
- समय–समय पर ली जाने वाली सेवाएं के पेटे किए गए भुगतान का लेखा–जोखा रखना।
- अनुदानित राशि की समाप्त होने की सूचना समय–समय प्रभारी/अधीक्षक को देना।

- किसी मद अधिक व्यय होने की स्थिति में प्रभारी/अधीक्षक से सलाह/राय लेना।
- संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का समय पर वेतन/पारिश्रमिक उपलब्ध कराना।
- उक्त के अतिरिक्त संस्था के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना।

7. कला और शिल्प और कार्यकलाप शिक्षक –

- बच्चों से कला एवं शिल्प के संबंध में समूह गतिविधि आयोजित करना।
- बच्चों से कला एवं शिल्प के संबंध में व्यक्तिगत गतिविधि करवाना।
- बच्चों में कौशल को पहचानना तथा उसे बढ़ावा देना।
- बच्चों से त्योहारों पर खिलौने, चित्र इत्यादि बनवाना।
- बालिकाओं को सिलाई, कढाई इत्यादि सिखाना, जिससे वे स्वयं सक्षम बन सके।

8. पीटी अनुशिक्षक सह योग प्रशिक्षक –

- बच्चों को शारीरिक व्यायाम करवाना।
- बच्चों को योग सिखाना तथा सामान्य योगाभ्यास करावाना।
- बच्चों को शारीरिंक व्यायाम एवं योग के लाभ एवं हानि के बारे में बताना।
- बच्चों को नियमित शारीरिक व्यायाम एवं योग करने के लिए प्रेरित करना।
- बच्चे योग से कैसे स्वस्थ बन सकते हैं के बारे में बताना।
- किस प्रकार बच्चों की दिनचर्या में योग को सम्मिलित किया जा सकता है, के बारे में बताना।

9. रसोईया –

- निर्धारित समय पर चाय, नाश्ता, भोजन, रात्रि भोजन तैयार करना।
- बच्चों की रूचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाना।
- अगले दिन बनाये जाने वाले भोजन हेतु बच्चों की राय प्राप्त करना।
- भोजन बनाते समय साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना।
- भोजन सामग्री समाप्त होने से पूर्व समय रहते अधीक्षक/प्रभारी/स्टोर कीपर को अवगत कराना।
- बीमार बच्चों हेतु अल्पाहार एवं पोषक भोजन तैयार करना।
- उक्त के अतिरिक्त संस्था के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना।

10. सहायक –

- संस्था के प्रभारी/अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य में सहयोग उपलब्ध करना।
- संस्था में बच्चों मिलने आने वाले आगंतुकों को बच्चों से मुलाकात करवाना।
- संस्था में आने वाले अतिथियों एवं भामाशाहों का सत्कार करना।
- संस्था में बच्चों से संबंधित पत्रावलियों का सुव्यवस्थित रखरखाव करना।
- बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना।

- उक्त के अतिरिक्त संस्था के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना।

11. **आया/सुरक्षाकर्मी (गार्ड)/ हाउस कीपिंग/वाहन चालक/माली** – उक्त कर्मचारियों द्वारा संस्था के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा निर्धारित कार्यो जिम्मेदारीपूर्वक निवर्हन किया जायेगा तथा उपलब्ध संसाधनों का उचित रखरखाव किया जायेगा।

अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा–

1. आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता एवं बच्चों के साथ कार्य करने के अनुभव के आधार पर निर्धारित समयावधि पर चयनित किया जायेगा।
2. संस्थान किसी को नौकरी देने से पहले उसकी पूरी जांच करेगा और उसके द्वारा दिए गए संदर्भ लिखित में ले कर उसके रिकार्ड का हिस्सा बनाए जाएंगे।
3. किसी भी सस्थान में यौन और/या शारीरिक दुर्व्यवहार की अपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सभी चयनित अभ्यर्थियों को यह हस्ताक्षरित घोषणा करनी चाहिए कि वे लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षंण) अधिनियम, 2015 में वर्णित या अन्य किसी यौन और या हिंसक अपराध के आरोपी नहीं रहे हैं।
4. नौकरी चाहने वाले व्यक्ति को दो संदर्भ व्यक्तियों के नाम (एक चरित्र प्रमाणपत्र सहित) देने चाहिए।
5. चयन व नियुक्ति की प्रकिया के समय सम्बन्धित व्यक्ति का बच्चों और बाल दुर्व्यवहार के प्रति व्यवहार संस्थान की बाल सुरक्षा नीति (परिशिष्ठ–1) तथा बाल सुरक्षा पर बने केन्द्रीय व राज्य कानूनों की जानकारी देखी जाएगी।
6. सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के साथ संस्थान की बाल सुरक्षा नीति की प्रति भी दी जाएगी और उस पर उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे।
7. अधीक्षक/प्रभारी/बाल कल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी /नर्सिंग स्टाफ को बेसिक कम्प्यूटर ज्ञान होना आवश्यक हैं।
8. प्रभारी/बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी /नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करते समय योग्यता एवं अनुभव के साथ बच्चों से संबंधित अधिनियमों की जानकारी रखने वाले संवेदनशील व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. बाल देखरेख संस्थानों में नियुक्त होने वाले व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए।
10. पदों पर नियुक्ति देने से पूर्व आवेदन करने वाले व्यक्ति का पुलिस सत्यापन कराया जायेगा।
11. पदों पर नियुक्ति देने से पूर्व आवेदन करने वाले व्यक्ति के पूर्व नियोक्ता से उसकी कार्यशैली के बारे में जानकारी प्राप्त की जायेगी।
12. यदि आवेदक पर पूर्व में बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार करने का आरोप है, तो उसे अपात्र माना जायेगा।

13. यदि संस्था में नियुक्त किए गए किसी अधिकारी/कर्मचारी बच्चों के साथ क्रूरतापूर्ण व्ययवहार करते हुए पाया जाता है या अन्य कोई दुर्व्यवहार करते पाया जाता है, तो तुरन्त हटाया जाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
14. यदि नियुक्त कर्मचारी किसी मादक पदार्थ, नशीली दवा का सेवन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे तुरन्त हटाया जायेगा।
15. संस्था प्रभारी द्वारा किसी भी कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में हटाया जा सकेगा।
16. संस्थान में किसी भी पद पर संस्थान के पदाधिकारियों के सदस्यों एवं रिश्तेदारों को नहीं लगाया जायेगा।
17. यदि बाल देखरेख संस्थानों में बालिकाओं रह रही है, तो केवल महिला कार्मिकों की ही नियुक्ति की जायेगी।
18. 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को नौकरी पर लेने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

बाल देखरेख संस्थान में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का रूख (Attitude) एवं व्यवहार एवं आचरण (Behaviour and Conduct) निम्नानुसार होना आवश्यक है:–

रूख (Attitude)

- बच्चों की परिस्थितियों एवं उसकी सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में कोई पूर्वधारणा/ पूर्वागृह नहीं रखना।
- बच्चों की परिस्थितियों के लिए केवल उन्हें एवं उनके परिवार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना।
- बच्चों की परिस्थितियों में सुधार की प्राथमिक जिम्मेदारी समाज एवं सरकार की हैं।
- बच्चों में सुधारात्मक परिवर्तन की संभावना के प्रति सकारात्मक विचार रखना।
- बच्चों के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म, क्षेत्रियता, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना।

व्यवहार एवं आचरण (Behaviour and Conduct)

- बच्चों को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव–भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे एवं आवाज के संदर्भ में बाल अनुकुल दृष्टिकोण अपनाना।
- बच्चों से हितैषी एवं संरक्षक के रूप में व्यवहार करना तथा उनके हित को सर्वोपरि मानना।
- बच्चों में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा करना।
- बच्चों से बातचीत करते समय कलंकित/अशोभनीय भाषा एवं शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना।

- संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बच्चों को शारीरिक स्पर्श नहीं करना।
- बच्चों का शारीरिक दण्ड/मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना।
- बच्चों के सामने अन्य बच्चों की बुराई करना।
- न ही बच्चे के माता–पिता एवं रिश्तेदार बुराई करना।
- बच्चे की बातों का मजाक नहीं करना एवं उनकी बातों को सहजता सुने और समझे।
- संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों का तम्बाकू अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना।
- बच्चों से संवाद के समय मोबाईल/फोन पर बात नहीं करना।
- बाल देखरेख संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों में बच्चों से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों की जानकारी होना।

7/3/2017

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक :एफ.5(1)( )निबाअ/आईसीपीएस/लेखा/..... /17–18/ 62162-194 दिनांक: 7/3/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. समस्त उप/सहायक निदेशक, सान्याअवि एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि गैर राजकीय बालगृहों/आश्रयगृहों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति निर्धारित योग्यता के अनुसार होना सुनिश्चित करायें।
2. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव